<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।</u>

कमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी- 142 दिनांक: 23-4-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक..12वीं...दिनांक...10-4-2002का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं0.12वीं दिनांक.10-4-2002 प्रात:/~~सायं~~ 9:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई,का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव,आयुक्त,जविप्रा,जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव,जविप्रा,जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा,जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा,जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा,जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन...................,जविप्रा,जयपुर।

सदस्य सचिव,
बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं...बैठक दिनांक..10-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : महावीर स्वामी
2. योजना का नाम : दुर्गा विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक....9-4-2002........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. मुख्य सड़क की चौड़ाई 250' रखी जाये जिसके अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से योजना की दूरी 150' रहे।

2. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल दर्शाया है जिसे नियमानुसार आवासीय हेतु परिवर्तित किया जाये।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

सीपीसी(ले आउट प्लान)की...12वीं....बैठक दिनांक..10-4-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिवदासपुरा
2. योजना का नाम : खेल विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या..सी-3..........) कमेटी की बैठक दिनांक....9-4-2002.........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

1. योजना में फैसिलिटी एरिया छोटे-छोटे टुकडों में कई स्थानों पर दर्शाया गया है जिसको एक या दो स्थानों पर बड़े आकार में दर्शाया जाये तथा इसके अनुसार योजना समिति से संशोधित करवाई जावें ।
2. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार योजना की भूमि का भू उपयोग इकोलोजिकल दर्शाया है जिसे नियमानुसार आवासीय हेतु परिवर्तित किया जाये ।

2

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं...बैठक दिनांक...10-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : अम्बेश्वर
2. योजना का नाम : वृन्दावन विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : जामडोली, 10, 9, 11, 12/1
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक...3-4-2002...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. आवश्यकतानुसार सड़को की चौड़ाई कम करते हुए अधिक फैसिलिटी एरिया दर्शाया जाये।
2. आगरा रोड़ से जामडोली की ओर जाने वाली सड़क जिसको मानचित्र में 80' चौड़ी दर्शायी है उसकी आस-पास की भूमि की स्थिति एवं मौके के अनुसार सही स्थिति में दर्शायी जाये।
3. दिनांक 15-4-2002 को समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाये जिससे कि ले आउट प्लान के बारे में उचित निर्णय लिया जा सके।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

आपीसी(ले-आउट प्लान)की 12वीं बैठक दिनांक 10-4-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. आवेदक/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पथिक भवन
2. योजना का नाम : स्कीम नं0 9 (भृगु निर्माण नगर)
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या बी-6) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के साथ प्रस्तुत मौके की स्थिति के मानचित्र पर विचार-विमर्श किया गया। योजना का मानचित्र दिनांक 29-8-2000 को सम्पन्न हुई बीपीसी-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं0 72/2000 में स्वीकृत किया गया था। उस समय चूंकि दुकाने स्वीकृत नहीं की जा रही थी अत: इनको निरस्त कर दिया गया था। मौके की स्थिति को देखते हुए तथा दुकानों का निर्माण हो जाने एवं योजना में अन्य कोई व्यावसायिक (दुकानें) उपयोग दर्शित नहीं होने के फलस्वरूप निम्न शर्तों के साथ दुकाने स्वाकृत की गयी-

1. योजना में दर्शायी पूर्व व उत्तर दिशा की सड़क की चौड़ाई 30' रखी जाये।
2. आवेदक द्वारा जो उत्तर दिशा में सैट बैक क्षेत्र में टायलेट बना रखा है उसको उनके द्वारा योजना में उल्लेखित अण्डरटेकिंग के अनुसार तुरन्त हटाया जाये।
3. अजमेर सड़क के मध्य बिन्दु से 80' की दूरी के पश्चात् अजमेर रोड़ की तरफ 20' का सैट बैक रखा जाये।
4. पूर्व दिशा की सड़क की चौड़ाई 30' रखी जाये तथा इसमे किसी भी प्रकार की सीढ़ी अनुज्ञेय नहीं की जाये।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं...बैठक दिनांक..10-4-2002 का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: बस्सी सीतारामपुरा
2.	योजना का नाम	: श्याम नगर
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	:
4.	सैक्टर नंबर	:

जोनल लेबल(जोन संख्या..बी-7.....) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति की बैठक दिनांक 4-4-2002 के निर्णय के अनुसरण में जविप्रा एवं समिति के सदस्य श्री राजेन्द्र मावर द्वारा योजना का मौका निरीक्षण किया गया तथा उनकी द्वारा राय दी गयी कि चूंकि मौके पर निर्माण कार्य काफी हो चुका है अत: सड़क की चौड़ाई 30' रखी जाये। समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सड़क की चौड़ाई 30' रखी जाये।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं....बैठक दिनांक...10-4-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : विजय नगर
2. योजना का नाम : राजेन्द्र नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : रामसिंहपुरा, तह- बस्सी, 40
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी-3...) कमेटी की बैठक दिनांक...3-4-2002...........में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:--

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार सम्पूर्ण योजना सड़क के मध्य बिन्दु से 175' के अन्तर्गत आती है जो सड़क की सीमा में है अत: योजना निरस्त की गयी ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं...बैठक दिनांक..10-4-2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पथिक भवन गृ॰नि॰स॰स॰
2. योजना का नाम : योजना नं॰ 4 में 30'-0" चौड़ी सड़क
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : को 25'-0" चौड़ी करने के सम्बन्ध में।
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....A-1...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

सहायक नगर नियोजक जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आये कि इस सड़क पर केवल 7 भूखण्ड ही खुलते हैं इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 25'-0" रखे जाने से यातायात में कोई व्यवधान नहीं होता। अत: विचार-विमर्श कर निर्णय लिया कि इस सड़क की चौड़ाई 30'-0" से 25'-0" चौड़ी कर दी जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं....बैठक दिनांक...10-4-02...
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : ईश्वर लाल, जगदीश, हीरालाल, नैना देवी,
2. योजना का नाम : शिव आफिसर्स कॉलोनी "ब्लाक सी" (प्रशासनिक विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख॰नं॰210,211,214 से 225,238 ग्राम
4. सैक्टर नंबर : गोविन्दपुरा

जोनल लेबल(जोन संख्या...6-2....) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया विचार-विमर्श पश्चात् खसरा बाउन्ड्री के अन्दर की योजना तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन योग्य है। निर्मित्त भूखण्ड 10% से कम होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की ...129.... बैठक दिनांक 10-4-02 .....
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम	: शिव शंकर गृ0नि0स0स0
2.	योजना का नाम	: पशुपति नाथ नगर योजना
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0	: ख॰नं॰ 102 से 106,101/547,108 से128,
4.	सैक्टर नंबर	: 130 से 136,466 ग्राम चक गेटोर

जोनल लेबल(जोन संख्या...C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् योजना का स्थल निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा किए जाने तथा संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...129...बैठक दिनांक..10-4-02....
का कार्यवाही विवरण।

1.	खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :	आनर्स लेड़ में भूखण्ड़ सृजित करने बाबत्
2.	योजना का नाम :	
3.	ग्राम का नाम व खसरा नं0 :	ख॰नं॰21 (पदमावती कॉलोनी में दर्शित आनर्स लैंड)
4.	सैक्टर नंबर :	

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-5....) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिंशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा समिति के समक्ष एजेण्ड़ा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि इस योजना को भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में पदमावती कॉलोनी की पत्रावली में उपलब्ध एजेण्ड़ा व कार्यवाही विवरण को ध्यान में रखते हुए जाँच की जावें ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं...बैठक दिनांक..10-4-02...

का कार्यवाही विवरण।

विषय:- कीर्ती नगर योजना में सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पूर्व में स्थित भूखण्डों के नियमन के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..बी-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श दौरान समिति को बताया गया कि सवाई-माधोपुर रेल्वे लाइन के पूर्व में बरकत नगर लव-कुश नगर, चित्रगुप्त नगर में रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से दूरी के सम्बन्ध में प्रकरण भवन मानचित्र समिति द्वितीय (को-ऑपरेटिव) की बैठक क्रमांक 49/2000 दिनांक 27.5.2000 में विचारार्थ रखा गया था। जिसमें निर्णय लिया गया था कि जो भूखण्ड रेल्वे लाइन की ओर नहीं खुलते है। उन भूखण्डों में रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 75'-0" तथा जो भूखण्ड रेल्वे लाइन की ओर खुलते है उनमें 75'-0" के अतिरिक्त 25' इस प्रकार रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से भूखण्ड की बीच की दूरी 100-0" रखी जावें। समिति ने विचार विमर्श पश्चात् नितिगत निर्णय लिया कि सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पूर्व में 22 गोदाम गंदे नाले से गोपालपुरा बाईपास तक जो भूखण्ड रेल्वे लाइन की ओर नहीं खुलते है उनमें रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से 75' व जो भूखण्ड रेल्वे लाइन की ओर खुलते है उनसे रेल्वे लाइन के केन्द्र बिन्दु से भूखण्ड के बीच की दूरी 100'-0" रखी जाकर भूखण्डों का नियमन कर दिया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...129...बैठक दिनांक.10-4-02..........
का कार्यवाही विवरण।

विषय:- सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पश्चिम में बाइस गोदाम गंदे नाले से गोपालपुरा बाईपास के समानान्तर सड़क की चौड़ाई के सम्बन्ध में।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....13-2...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति के सदस्यों को बाईस गोदाम गंदे नाले से गोपालपुरा बाईपास तक रेल्वे लाइन के समानान्तर मौके की स्थिति के सर्वे का अवलोकन करवाया गया। सदस्यों ने सर्वे का अवलोकन किया। सर्वे के अनुसार बाईस गोदाम गंदे नाले से महेश नगर फाटक तक रेल्वे की कम्पाउण्ड वॉल के बाद केवल 40'-0" चौड़ी सड़क ही निकली जा सकती है। महेश नगर रेल्वे फाटक के बाद 60'-0" चौड़ी सड़क निकाली जा सकती है।

विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि सेक्टर प्लान के अनुसार रेल्वे सीमा 50' के पश्चात् 100'-0- चौड़ी सड़क में काफी मकान व दुकानें निर्मित्त है इसलिए 100'-0" चौड़ी सड़क निकालना सम्भव नहीं है। 22 गोदाम गंदे नाले से महेश नगर फाटक तक रेल्वे विभाग ने बाउन्ड्री वॉल बना दी है इसलिए यहाँ तक रेल्वे बाउन्ड्री वॉल के पश्चात् 40'-0" चौड़ी सड़क तथा महेश नगर रेल्वे फाटक से गोपालपुरा बाईपास तक रेल्वे लाइन की बाउन्ड्री वॉल के बाद 60'-0" चौड़ी सड़क के पश्चात् भूखण्डों का नियमन कर दिया जावें।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12वीं...बैठक दिनांक..10-4-02.........
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हरि नगर गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : हरि नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....C-2...) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति के सदस्यों द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....12 वीं बैठक दिनांक 10-4-02
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार श्री नाथगराम मीणा मुख्तयार आम श्री भौरीलालमीणा, राम लाल, दुर्गालाल, गणेश नारायण, बद्रीनारायण व श्रीमति केसर

2. योजना का नाम : पंचवटी योजना

3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख॰नं॰27 से 31 टोलावाला

4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....C-2..) कमेटी की बैठक दिनांक..........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/~~अस्वीकृत~~ निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । खातेदार ने व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि से आवासीय प्रयोजन दर्शाया है । आवासीय उपयोग लोअर उपयोग होने के कारण विचार-विमर्श पश्चात् आवासीय योजना को तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन योग्य पाया गया । मौके पर निर्मित्त भूखण्ड 10% से कम है इसलिए योजना को अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....12 वीं..बैठक दिनांक 10-4-02.........
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार श्री गोविन्द लाल, लाला, तोफान, बिरधी, मूल्या, छीतरनारायण
2. योजना का नाम : द्वारका पुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख०नं०376,377,400 ग्राम चक गेटोर
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....सी-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) ने समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया । विचार-विमर्श पश्चात् समिति ने निर्णय लिया कि खातेदार द्वारा संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण को आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...12 वीं...बैठक दिनांक..10-4-02....
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम : निजी खातेदार की फार्म हाउस योजना
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : के सम्बन्ध में।
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या..C-2..) कमेटी की बैठक दिनांक.........................में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तो पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि खातेदार 160'-0" चौड़ी सड़क छोडते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने पर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत ~~करें~~ करें।

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

Proceedings of 12th BPC(Layout) Meeting held on 10-04-2002 under the Chairmanship of JDC.

Cases of Change of Land Use

(1) **Regarding change of land use of Plot No. C-1 area 502.16 (419.85 Sq. Mtr.) of Shankar Bhawan Grah Nirman Sahkari Samiti's scheme Panchsheel Colony.**

The case was examined in detail by the Committee and it was decided that the case does not require any change of land use, as the area is under Commercial use in MDP-2011. Further action will be taken by DC(B-5) as per norms.

(2) **Regarding change of land use of remaining land [Area 2738.67 sq. mtr.] owned by Shri Gopal Das Johar at village Jhalana Doongari, Tehsil Sanganer from Institutional to Residential.**

The case was examined in detail by the Committee and it was decided to defer the case for the next meeting.

(3) **Regarding change of land use of Plot No. 88 area 300 Sq. Mtr. Of The Rajhans Grah Nirman Sahkari Samiti's scheme Avadhpuri from Residential to Institutional [School].**

The case was examined in depth by the Committee and it was found that Plot size was not fulfilling the minimum requirement for

Institutional [School] change as per Building Bye-laws 2000 so the case was rejected.

(4) **Regarding change of land use in MDP-2011, Institutional as well as for Huge Commercial setups of 200' strip of land on both the sides of road (East and West sides) at J.L.N. Marg .**

After detailed discussion it was decided that the land indicated under Institutional use in MDP-2011 from Nallah (South of Mahavir Udyan of JDA) to Jawahar Circle on both sides of JLN Marg (East and West side) as per Government order No. F-5(26),UDH/3/92 dated: 15-01-02 will also be used for Institutional/Commercial activities after prescribed procedure of Change of land use. Notification U/s 25(3) of JDA Act 1982 may be issued.

(5) Regarding change of land use of Plot No. 87 area 630 Sq. Yds. Of The Rajhans Grah Nirman Sahkari Samiti's scheme Avadhpuri from Residential to Institutional [School].

The case was examined in depth by the Committee and it was found that the Plot size was not fulfilling the minimum requirement for Institutional [School] change as per Building Bye-laws 2000 so the case was rejected.

<u>कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।</u>

कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 10.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना संजय कालोनी खसरा नम्बर 105/2, 98, 100 ग्राम किशनबाग के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 27.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया हैं कि :-

    1. सर्वप्रथम प्रशासनिक रूप से Legal Points पर Examine किया जावें एवं प्रशासनिक दृष्टि से अनुमोदन योग्य पाये जाने पर ही बीपीसी के समक्ष रखा जावें।
    2. योजना 2 बीघा से अधिक राजकीय भूमि हैं, का जोन उपायुक्त अपने स्तर पर जांच करें एवं निर्णय लिया गया की जोन उपायुक्त संबंधित सहकारी समिति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराकर कार्यवाही की जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 10.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-1 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना शिव शक्ति नगर, खसरा नम्बर 93, 94, 97, 98, 107 ग्राम जयसिंहपुरा के अनुमोदन के संबंध में।
2. बंधु गृ.नि.स.स. की योजना अनीता कालोनी ''बी'' खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39, 213 ग्राम इन्दरपुरी के अनुमोदन के संबंध में।
3. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना गोविन्द विहार खसरा नम्बर 220 ग्राम श्रीराम की नांगल के अनुमोदन के संबंध में।

1. विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना शिव शक्ति नगर, खसरा नम्बर 93, 94, 97, 98, 107 ग्राम जयसिंहपुरा के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 5.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर बीपीसी के समक्ष प्रस्तुत करने पर यह निर्णय लिया गया की :-

    1. योजना को 60:40 के अनुपात में आवासीय सडक एवं सुविधा हेतु रखते हुए समिति से संशोधित मानचित्र मांगा जावें।

2. बंधु गृ.नि.स.स. की योजना अनीता कालोनी ''बी'' खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39, 213 ग्राम इन्दरपुरी के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-1) कमेटी की बैठक दिनांक 5.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य

सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना को 60:40 के अनुपात में आवासीय एवं सडक सुविधा हेतु रखते हुए अनुमोदन किया जावें।
2. योजना के दक्षिण भाग में प्रस्तावित 40' चौडी सडक को 60' चौडाई किया जावें।
3. योजना के भूखण्ड संख्या 19, 20, 21, 22-ए को सुविधा क्षेत्र हेतू दर्शाया जावें। उक्त भूखण्डधारकों को योजना के अन्य भूखण्डों जिन भूखण्डधारियों के पास एक भूखण्ड से अधिक हैं में से समायोजित किया जावें।
4. भूखण्ड संख्या 1 को सडक 60' चौडाई करने पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया जाता हैं।
5. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार मिश्रित क्षेत्र से आवासीय किया जावें।
6. जविप्रा आदेश कमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/डी-451 दिनांक 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतू राज्य सरकार को भिजवायी जावें।

3. बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स. की योजना गोविन्द विहार खसरा नम्बर 220 ग्राम श्री राम की नांगल के संबंध में उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि निर्मित भूखण्ड/निर्माण योग्य क्षेत्र को मध्ये नजर रखते हुए सहकारी समिति से संशाधित मानचित्र लिया जावें।

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 10.4.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार के खसरा नम्बर 712, 721 ग्राम सिरसी के अनुमोदन के संबंध में।
2. हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना बजरंग कालोनी खसरा नम्बर 20 ग्राम बिन्दायका के अनुमोदन के संबंध में।
3. श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना भैरव नगर खसरा नम्बर 566/916, 565 व 446 के अनुमोदन के संबंध में।
4. शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना अयोध्यानगर खसरा नम्बर 442 के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. गणपति गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार के खसरा नम्बर 712, 721 ग्राम सिरसी के अनुमोदन के संबंध में जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 2.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया यह निर्णय लिया गया कि :-

   योजना को 60:40 के अनुपात में आवासीय सडक एवं सुविधा हेतु रखते हुए योजना का मानचित्र संशोधन करने के पश्चात विचार किया जावेगा।

2. हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना बजरंग कालोनी खसरा नम्बर 20 ग्राम बिन्दायका के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक

दिनांक 2.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना की आंतरिक सडको की चौडाई 30' की जावें।
2. योजना बिन्दायका औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित 100' फीट चौडी सडक से प्रभावित है योजना में उक्त सडक 40' प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित 100' सडक से प्रभावित दुकानों का नियमन नहीं किया जावें तथा प्रभावित भूखण्डों को शेष ही नियमन किया जावें।
3. योजना के दक्षिण की ओर स्थित दुकान संख्या 21 से 28 के सामने वाली सडकों को 30' करने पर निर्माण योग्य क्षेत्र नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया गया तथा इसको अन्य सुविधाओं में माना जावें।
4. योजना के 1, 3, 3 ए, 6 के पूर्व में लगते हुए रास्ते को 20' के स्थान पर 30' किया जावें।
5. भूखण्ड संख्या 4 व 5 की पूर्व की सेट बैक को 5' किया जावें।
6. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार औद्योगिक से आवासीय किया जावें।

3. श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स. की योजना भैरव नगर खसरा नम्बर 566/916, 565 व 446 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 2.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. योजना को 60:40 के अनुपात में आवासीय एवं सडक सुविधा हेतु रखते हुए योजना का मानचित्र संशोधन करने के पश्चात विचार किया जाना अपेक्षित हैं।
2. भूखण्ड संख्या ए-23 से ए-26 व ए-43 से ए-46 को सुविधा क्षेत्र हेतू दर्शाया जावें एवं उक्त भूखण्डों का समायोजन योजना में प्रस्तावित 100' सडक को 60' किया जाने के पश्चात शेष बची भूमी पर रेल्वे लाईन की तरफ किया जावें।
3. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें।
4. जविप्रा आदेश कमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/डी-45 दिनांक 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतू राज्य सरकार को भिजवायी जावें।

4. शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना अयोध्यानगर खसरा नम्बर 442 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 2.4.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के कम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नाकिंत संशोधनो के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. भूखण्ड संख्या 1 से 12 योजना सीमा से बाहर हैं इसलिए अस्वीकृत किया जाता हैं।
2. भूखण्ड संख्या ए-7 का कुछ भाग H.T. Line सुरक्षा दृष्टि से प्रभावित होने के कारण H.T. Line के मध्य रेखा से भूखण्ड के दक्षिण की ओर अग्र सेट बैक 40' किया जावें।
3. योजना का भू उपयोग उपान्तरण नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावें।
4. जविप्रा आदेश कमांक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/डी-45 दिनांक 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतू राज्य सरकार को भिजवायी जावें।

वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)